पदीचअसप शिविर ग्राम पंचायत बांय

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान राम कुमार बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 102 /2025
निर्णय दिनांक ......26|6|2025......

राम कुमार पुत्र फुला राम जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—::निर्णय::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा बांय पटवार हल्का बांय तहसील तारानगर के खाता संख्या 534 खसरा सं. 305 तादादी 5.7029 हैक्ट. खसरा सं. 307 तादादी 3.9705 हैक्ट., कुल तादादी 9.6734 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी रोही मौजा बांय पटवार हल्का बांय तहसील तारानगर में भूलवश टाईप गलती से वर्तमान राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र फुलाराम ग्राम जिगासरीटीबा दर्ज हो गया, जो गलत है। जिसका पता प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में से जमाबंदी निकलवाने पर हुआ। जबकि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में सही नाम राम कुमार पुत्र फुला राम ग्राम जिगासरी बड़ी है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी उक्त कृषिभूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही बांय पटवार हल्का बांय तहसील तारानगर के खाता संख्या 534 खसरा सं. 305 तादादी 5.7029 हैक्ट. खसरा सं. 307 तादादी 3.9705 हैक्ट., कुल तादादी 9.6734 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम राम कुमार पुत्र फुला राम ग्राम जिगासरी बड़ी किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर ग्राम पंचायत बांय में पत्रावली पेशी में ली गई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम राम कुमार पुत्र फुला राम व रामकुमार पुत्र फुलाराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम राम कुमार पुत्र फुला राम ग्राम जिगासरी बड़ी पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम राम कुमार पुत्र फुला राम ग्राम जिगासरी बड़ी पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र फुलाराम ग्राम जिगासरीटीबा अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि बांय पटवार हल्का बांय तहसील तारानगर के खाता संख्या 534 खसरा सं. 305 तादादी 5.7029 हैक्ट. खसरा सं. 307 तादादी 3.9705 हैक्ट., कुल तादादी 9.6734 हैक्ट.के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र फुलाराम ग्राम जिगासरीटीबा **Delete** कर इसके स्थान पर राम कुमार पुत्र फुला राम ग्राम जिगासरी बड़ी अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......26|6|2025...... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)